मंथन शिविर

- पिछले सात दशकों में अभी तक 17 बार आम चुनावों के बाद लोक सभा का गठन हुआ है। यदि अलग-अलग मानकों के अनुसार देखा जाए तो इन 17 लोक सभाओं के दौरान लोक सभा के कार्यकरण में व्यापक बदलाव हुए हैं ताकि सदन को लोक महत्व के विषयों पर व्यापक चर्चा संवाद के लिए पर्याप्त समय मिले तथा आवश्यक विधान भी उचित चर्चा के बाद पारित किया जाए।

- इस लोक सभा के कार्यकरण के बारे में मैं कुछ तथ्यात्मक जानकारी आपके साथ साझा करना चाहता हूं-

○ **सदन में आवश्यक विधायी कार्यों पर चर्चा के समय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अनुदान मांगों पर सदन में हुई चर्चा के आंकड़े देखें, तो हम पाते हैं कि 14वीं एवं 15वीं लोक सभा में औसतन सवा 5 घंटे चर्चा हुई।**

○ **16वीं लोक सभा में इस पर चर्चा का औसत समय सवा 4 घंटे था। परंतु 17वीं लोक सभा में इस मद पर चर्चा औसतन लगभग 8 घंटे चली है। अधिक समय तक लोक सभा चलने से सांसदों को विभिन्न चर्चाओं में सम्मिलित होने का अधिक अवसर प्राप्त होता है।**

○ **सरकारी विधेयकों पर भी 17वीं लोक सभा के दौरान चर्चा में लगा औसत समय 2 घंटे 8 मिनट का रहा जो कि पिछली लोक सभाओं से अधिक है।**

○ **इस लोक सभा में नियम 193 के तहत होने वाली अल्पकालीन चर्चा पर लगने वाले समय में भी पिछली लोक सभाओं की तुलना में बढ़ोतरी हुई है। जहां 14वीं लोक सभा में ऐसे प्रत्येक मामले पर 4 घंटे 27 मिनट की चर्चा होती थी, वह इस लोक सभा में बढ़कर 5 घंटे 5 मिनट हो गई है। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या भी बढ़ी है।**

○ **इस लोक सभा में कार्यपालिका द्वारा दिए गए आश्वासनों का उचित रूप से follow up एवं समीक्षा की जा रही है। इसका परिणाम है कि इस लोक सभा में न सिर्फ अधिक आश्वासन पूरे किए गए हैं बल्कि समीक्षा के उपरांत कुछ आश्वासनों को drop भी किया गया है।**

○ माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर संसद में माननीय सांसदों की उपस्थिति में वृद्धि हुई है और अब औसतन 400 सांसद प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करते हैं।

- लोक सभा के कार्यकरण में किए गए परिवर्तन के कारण कोरोना महामारी के दौरान भी संसद में सामान्य कामकाज ही नहीं हुआ बल्कि ऐसे कठिन समय में भी कार्य उत्पादकता के नए कीर्तिमान स्थापित किए गए।

- माननीय मंत्रिगण तथा माननीय सदस्यों ने देर रात तक बैठकर सदन का कामकाज निपटाया तथा आवश्यक विधान भी पारित किए।

- इस लोकसभा में छठे सत्र में व्यापक व्यवधान के बावजूद 17वीं लोकसभा की अभी तक की कार्य उत्पादकता 102% रही है। चौथा सत्र, जो कोरोना काल में हुआ था, उसमें उत्पादकता 167% रही जो आज तक की सर्वाधिक उत्पादकता है।

- आज सदन में विधायी कार्यों पर चर्चा की अवधि में भी पिछली लोक सभाओं की तुलना में वृद्धि हो रही है। यदि पिछले छठे सत्र में व्यवधान के कारण समय नष्ट नहीं होता तब विधायी कार्यों पर चर्चा में लगे समय में और अधिक वृद्धि होती।

- इस लोक सभा में सभी माननीय सदस्यों को चर्चा में भाग लेने का पर्याप्त अवसर ही नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उन्हें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। इसके लिए यदि आवश्यक हो, तो सदन का समय भी बढ़ाया जाता है तथा हम देर रात तक बैठकर अपना कार्य करते हैं।

- लोक महत्व के विषयों पर चर्चा में संसद सदस्य अधिक संख्या में भाग ले रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर सरकार से अब शून्यकाल में उठाए गए मामलों पर उत्तर भी प्राप्त होने लगे हैं। यह एक ऐतिहासिक परिवर्तन है, पहले सदन में इसकी परंपरा नहीं थी।

- इसी प्रकार, नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले मामलों में भी अब सरकार से तत्परता से उत्तर प्राप्त हो रहे हैं। पिछले सत्र तक सरकार से इस मद पर प्राप्त होने वाले उत्तरों का प्रतिशत 98% से भी अधिक हो गया है। मैं इस सकारात्मक हस्तक्षेप के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

- **संसद के कार्यों में माननीय सदस्यों की capacity building के लिए उन्हें 24 x 7 रिसर्च सहायता दी जा रही है। महत्वपूर्ण कानूनों पर उनके लिए विशेष ब्रीफिंग सेशन आयोजित किए जाते हैं, जहां उन्हें विधेयकों के प्रावधानों के विषय में जानकारी दी जाती है। सदस्यों की सुविधा के लिए एक Attendance App भी विकसित किया गया है।**

- **संसद ग्रंथालय को और अधिक सुगम बनाया गया है। उन्हें पुस्तकें उनके घर तक पहुचाई जा रही हैं। संसद की एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई है जिसमें वर्ष 1854 से केन्द्रीय विधायी संस्थाओं के वाद-विवाद ऑनलाइन दिए गए हैं। इसमें संविधान सभा के डिबेट भी शामिल हैं।**

- **लोक सभा में ICT तकनीक के अधिक से अधिक उपयोग पर बल दिया जा रहा है। संसद टी.वी. के लिए एक अलग मोबाइल एप विकसित किया गया है ताकि जनता आसानी से लोक सभा की कार्यवाही देख सके। इसी पहल के अंतर्गत देश की सभी लोकतान्त्रिक संस्थाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए एप्लिकेशन बनाया गया है। संसद को राज्य विधान सभा के सदस्यों के लिए भी सुगम बनाया गया है।**

- मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में उन तथ्यों को भी लाना चाहता हूं, जिस पर हमें आगे अधिक विचार मंथन की आवश्यकता है।

  - **सबसे पहला विषय सदन की बैठकों की संख्या का है। जहां पहली लोकसभा में कुल 667 बैठकें हुई, 7वीं से 10वीं लोक सभा तक 450 के आसपास रही। अब यह संख्या 14वीं लोकसभा में 332, 15वीं लोकसभा में 357, और 16वीं लोकसभा में 331 हो गई है। 17वीं लोक सभा के अब तक 6 सत्रों में कुल 131 बैठकें हुई हैं।**
  - **इस लोक सभा में छठे सत्र तक बिना चर्चा के पारित विधेयकों की संख्या 21 है जबकि 16वीं लोक सभा में ऐसे विधेयकों की संख्या मात्र 6 थी। ऐसा सदन में लगातार होने वाले व्यवधान के कारण हुआ है।**
  - **स्थायी समितियों को भेजे गए विधेयकों की संख्या में भी काफी कमी आई है। 15वीं लोक सभा में 44.6 प्रतिशत विधेयक स्थायी समितियों को भेजे गए थे जबकि 17वीं लोक सभा में अभी तक मात्र 9.6 प्रतिशत विधेयकों को स्थायी समितियों को भेजा गया है।**
  - **विधेयकों पर सार्थक चर्चा के लिए आवश्यक है कि विधेयकों का परिचालन कम से कम दो दिन पूर्व कर दिया जाए। मंत्रालयों से आग्रह होगा कि वे इसमें सहयोग करें।**

- **यह भी उल्लेखनीय है कि इस लोक सभा में अभी तक कोई भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं लिया गया है जबकि पिछले लोक सभा में 18 ऐसे मामले चर्चा हेतु स्वीकृत किए गए थे।**

- हमारा आगे का विज़न है कि संसद को एक पेपरलेस और स्मार्ट संसद के रूप में विकसित किया जाए। इसी विज़न से हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नए संसद भवन का निर्माण कर रहे हैं। अगले वर्ष तक पूर्ण हो जाने वाला यह संसद भवन देश की जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों का जीवंत प्रतीक होगा तथा नए राष्ट्र के निर्माण का आधार बनेगा।